29/3/19

अपीलार्थी पक्ष से श्री बहुलाराम उप वकील वादी ने कथन किया कि मैं डिक्री को आगे नहीं चलाना चाहते तथा डिक्री पर आगे कार्यवाही चाहते इस बाबत आदेशिका पर हस्ताक्षर कर सहमति प्रदान की अतः वकील वादी का निवेदन स्वीकार कर वाद पत्र को मूल पक्ष आदेश किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार संख्या नम्बर से कम की व वापसी दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)